शीघ्र सहायता प्राप्त करें

विभिन्न कारणों से, न केवल महिलाएँ बल्कि पुरूष भी अपने जीवनसाथी/साथ रहने वाले (वाली) या उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा दुर्व्यवहार का शिकार हो सकते हैं। दूसरी ओर, जीवनसाथी/साथ रहने वाले (वाली) के द्वारा शारीरिक उत्पीडन से परिवार के हर सदस्य पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिए, अगर आप जीवनसाथी/साथ रहने वाले (वाली) के द्वारा शारीरिक उत्पीडन का सामना कर रहे हैं तो अपने और अपने परिवार की भलाई के लिए, कृपया समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department - SWD) परिवार और बल सुरक्षा (Family and Child Protective Services Units) सेवा इकाइयों से सम्पर्क करें या समाज कल्याण विभाग की हॉटलाईन (2343 2255) डायल करें। **समय पर सहायता मांगने से जीवनसाथी/साथ रहने वाले (वाली) के द्वारा शारीरिक उत्पीडन को रोकने में मदद मिलती है।**

शारीरिक उत्पीडन के शिकार पुरूष कहाँ सहायता मांग सकते हैं?

में पीडितों को, दुर्व्यवहार करने वाले को या जीवनसाथी/साथ रहने वाले (वाली) के द्वारा शारीरिक उत्पीडन का सामना कर रहे परिवारों को गैर सरकारी संगठनों (non-governmental organisations - NGOs), SWD पुलिस और कानूनी सहायता विभाग (Legal Aid Department - LAD) इत्यादि द्वारा एक श्रृंखला सेवाएँ प्रदान की जाती है। अगर आप शारीरिक उत्पीडन के शिकार हैं, तो निम्नलिखित सेवा इकाईयाँ आप की या आप के परिवारों के सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार की सेवाएँ मुहैय्या करायेंगी।

हॉटलाइन सेवाएँ
(Hotline Services)

आप कल्याण सेवाओं के बारे में जानकारी और उचित समय पर सलाह/सहायता प्राप्त करने के लिए हॉटलाइन सेवाओं (2343 2255) का उपयोग कर सकते हैं। इन हॉटलाइनों को SWD हॉटलाइन सामाजिक कार्यकर्ता संचालन करते हैं या कॉल स्थानान्तरण प्रणाली से संचालन के लिए तुडग् वाह ग्रुप ऑफ हास्पिटल्स द्वारा संचालित हॉटलाइन और बाहर जाकर काम करने वाले सेवा दल को दिया जाता है।

परिवार और बाल सुरक्षा सेवा इकाइयाँ
(Family and Child Protective Services Units - FCPSUs)

SWD की द फैमिलि एन्ड चाइल्ड प्राटेक्टिव सर्विसेस यूनिट्स (FCPSUs) वगैरह परिवार और बाल सुरक्षा सेवा इकाइयाँ विशेषज्ञ इकाइयाँ हैं, जिन्हें उन सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित किया जाता है जो पीडितों, दुर्व्यवहार करने वालों और/या ऐसे परिवारों को, जो बालशोषण व जीवनसाथी/साथ रहने वाले (वाली) के द्वारा शारीरिक उत्पीडन के मामले झेल रहे हों, बहुत सारी सेवाएँ देते हैं। मामलों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, आगे जाकर, सामाजिक जाँच पडताल, संकट के समय में मध्यस्थता, मामलों के संबंध में परामर्श और सामूहिक उपचार इत्यादि उपलब्ध कराते हैं। अदालत के आदेशों के अनुसार यह बच्चों को वैधानिक निगरानी भी प्रदान करते हैं। जरूरत पडने पर वित्तीय सहायता, आवास, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक सेवा और स्कूल का प्रबन्ध इत्यादि के लिए सिफारिश करेंगे। इसके अलावा, हिरासत या अभिभावकता के विवादों से प्रभावित बच्चों के हितों की रक्षा करने के लिए, FCPSUs वगैरह, अदालत के आदेशों के मुताबिक, सामाजिक जाँच पडताल की रिपोर्ट तैयार करेंगे और जिन बच्चों को निगरानी की जरूरत है उन की निगरानी भी करेंगे।

एकीकृत परिवार सेवा केन्द्र
(Integrated Family Service Centres - IFSCs)

SWD और वित्तीय सहायता प्राप्त NGOs द्वारा चलाये जा रहे एकीकृत परिवार सेवा केन्द्रों के मार्फत् (IFSCs) समाज में व्यक्तियों और परिवारों को उनकी विविध प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यापक, समग्र रूप से एक स्थान से बहुत सारी सेवाएँ उपलब्ध करायी जाती है। इसमें एक परिवार संसाधन इकाई (फैमिलि रिसोर्स यूनिट), एक परिवार सहायता इकाई (फैमिलि सपोर्ट यूनिट) और एक परिवार परामर्श इकाई (फैमिलि काउन्सेलिड्.ग यूनिट), होता है। एक गुच्छ सेवाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं जिन में पारिवारिक जीवन शिक्षा, माता-पिता-बच्चे कार्यकलाप, जाँच पडताल सेवा, स्वयंसेवक प्रशिक्षण बाहर जाकर दी जाने वाली सेवा, आपसी सहयोग मंडली, परामर्श और सिफारिश इत्यादि सेवाएँ हैं जो अधिक घन्टों की सेवाएँ सहित जरूरतमन्द व्यक्तियों और परिवारों के लिए हैं।

पारिवारिक हिंसा के शिकारों के लिए पीडित सहायता कार्यक्रम
(Victim Support Programme for Victims of Family Violence)

Po Leung Kuk Tsui Lam Centre पूरे में सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से पारिवारिक हिंसा के शिकारों के लिए पीडित सहायता कार्यक्रम उपलब्ध कराता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, जानकारी, भावात्मक सहायता से लेकर जब कानूनी कार्रवाई चल रही हो या जब जीवन में अचानक बदलाव का सामना करना पड रहा हो, उस वक्त सहचर सेवा जैसी एकमुश्त सेवाएँ उपलब्ध कराकर, उन में भय की भावना और असहायपन का बोध कम करना है। इस सेवा के लिए आप अपने सामाजिक कार्यकर्ता के पास जा सकते हैं।

अस्थायी निवास सेवाएँ
(Temporary Accommodation Services)

बहुमुखी संकट हस्तक्षेप और सहायता केन्द्र (सीज क्राइसिस सेन्टर)
(Multi-purpose Crisis Intervention and Support Centre) (CEASE Crisis Centre)

तुंग वाह ग्रुप ऑफ हास्पिटल्स (Tung Wah Group of Hospitals) द्वारा परिचालित सीज काइसिस सेन्टर एक ऐसा संकट हस्तक्षेप और सहायता केन्द्र है जिसका उद्देश्य यौन हिंसा के वयस्क पीडितों को और पारिवारिक हिंसा या संकट का सामना कर रहे व्यक्तियों/परिवारों को व्यापक सहायता देना है। उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं में, 24 घन्टा हॉटलाइन, संकट हस्तक्षेप/यौन हिंसा के वयस्क पीडितों और बुजुर्ग दुर्व्यवहार के लिए तत्काल पहुँच कर सेवा देना, अन्याय आवश्यक सेवाओं के लिए सिफारिश करना और जो पीडित अस्थायी तौर पर घर लौटने के योग्य नहीं हैं या वो लोग/परिवार जो संकट में हैं, उन के लिए अल्पकालीन आवास।

परिवार संकट सेवा केन्द्र
(Family Crisis Support Centre - FCSC)

Caritas - Hong Kong द्वारा परिचालित परिवार संकट सेवा केन्द्र का उद्देश्य संकट या कष्ट झेल रहे व्यक्तियों या परिवारों की मदद के लिए एकीकृत और आसानी से मिलने वाली सेवाएँ उपलब्ध कराके पारिवारिक संकट को प्रारम्भिक अवस्था में काबू में लाना है। उपलब्ध सेवाओं में 24 घन्टा हॉट लाइन सेवा, रात्रि आवास व्यवस्था के साथ अल्पकालिक आपातकाल हस्तक्षेप, अस्थायी आश्रयस्थल और अन्य सहायक सेवाएँ हैं।

अस्थायी आवास / अविवाहित व्यक्तियों के लिए शहरी छात्रावास
(Temporary Shelter / Urban Hostel for Single Persons)

अगर अस्थायी आवास की आवश्यकता हो, तो आप अस्थायी आश्रय के लिए या सामाजिक कार्यकर्ताओं की सिफारिश के मार्फत अविवाहित व्यक्तियों के शहरी छात्रावास लिए अर्जी दे सकते हैं। अविवाहित व्यक्तियों के लिए शहरी छात्रावास अल्पकालीन आवास और जरूरतमन्दों को विकल्प के रूप में दीर्घकालीन आवास प्राप्त करने में सहायता करने के लिए परामर्श उपलब्ध कराता है।

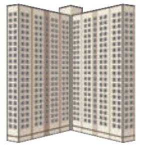

सदय पुनर्वास
(Compassionate Rehousing)

सदय पुनर्वास एक प्रकार से आवासीय सहायता है जो उन व्यक्तियों और परिवारों को सहायता देती है जिनको वास्तव में अविलम्ब आवासों की जरूरत हैं और इसे वह लोग खुद पूरा नहीं कर सकते हैं। इसे योजना के तहत, विवाह विच्छेद की कार्यवाही में उलझे लोगों की (पति/पत्नी द्वारा शारीरिक उत्पीडन के शिकार सहित) और विवाह विच्छेद के आवेदनों पर अदालत के फैसलों का इन्तजार करते वक्त जिन्हें वास्तव में आवास की जरूरत है, उन की मदद के लिए सशर्त किरायेदारी की सिफारिश की जा सकती है। जिन लोगों को इस सेवा की आवश्यकता है वे संबंधित सामाजिक कार्यकर्ता को अर्जी दे सकते हैं।

क्लिनिकल मनोविज्ञान इकाई
(Clinical Psychology Unit)

अगर आप भावात्मक रूप से अशांत हैं तो आप क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक सेवा हेतु सिफारिश लेने के लिए परिवार और बाल सुरक्षा सेवा इकाइयाँ या एकीकृत परिवार सेवा केन्द्रों में जा सकते हैं। क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक आप की आवश्यकताओं के आधार पर आप को व्यक्तिगत सलाह या समूह उपचार करते हैं।

सामाजिक सुरक्षा फील्ड इकाइयाँ
(Social Security Field Units)

यह व्यापक सामाजिक सुरक्षा सहायता (Comprehensive Social Security Assistance (CSSA) Scheme) जरूरतमंदों की वित्तीय मदद के लिए बनायी गई है। इसका पात्र होने के लिए आवेदक को कम से कम सात साल से हांग का निवासी होना होगा। विशेष परिस्थितियों में, जो CSSA आवेदक पूर्व निर्धारित आवासीय आवश्यकताएँ पूरी नहीं करते, उन्हें समाज कल्याण निर्देशक अपने विवेकाधिकार से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप CSSA के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो, सिफारिश के लिए आप सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास जा सकते हैं या SWD की सामाजिक सुरक्षा फील्ड इकाइयों के पास जाएँ।

कानूनी सहायता विभाग
(Legal Aid Department - LAD)

अगर आप अपने जीवनसाथी/साथ रहने वाले (वाली) के दुर्व्यवहार से पीडित हैं, तो आप दीवानी कार्रवाई करने के लिए LAD में कानूनी मदद के लिए आवेदन दे सकते हैं। आप चाहें तो अदालत में निषेधाता या विवाह विच्छेद के लिए आवेदन दे सकते हैं। कानूनी सहायता पाने के लिए आप को आय और योग्यता परीक्षाओं में सफल होना होगा। निषेधाज्ञा के लिए कानूनी सहायता की अत्यावश्यकता होने पर आवेदन दिए जाने पर LAD आय परीक्षण के लिए जितनी जल्दी सम्भव हो एक साक्षात्कार और बयान लेने का प्रबन्ध करेगा।

हांग कांग पुलिस बल
(Hong Kong Police Force)

पारिवारिक हिंसा की सभी शिकायतों और सूचनाओं की जाँच पडताल और कार्रवाई हांग कांग पुलिस बल द्वारा की जायेगी। सामान्य परिस्थितियों में, पुलिस हॉटलाइन 2527 7177 मार्फत् किसी भी पुलिस स्टेशन को फोन करके या किसी भी पुलिस अधिकारी से सीधा सम्पर्क करके शिकायत की जा सकती है। आपातकालीन स्थिति में जनसाधारण '999' डायल करके मदद ले सकते हैं। पीडितों और सूचना देने वालों की जानकारियाँ गोपनीय रखी जायेगी।

अपराध अध्यादेश (Cap. 200) और व्यक्ति के विरूद्ध अपराध अध्यादेश (Cap. 212) के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जीवनसाथी/साथ रहने वाले वाली सहित किसी भी अन्य व्यक्ति को गम्भीर शारीरिक नुकसान पहुँचाता है या पहुँचाने की धमकी देता है, वह एक अपराध करता है और वह कारावास का भागी होता है।

शीघ्र सहायता प्राप्त करें पति/पत्नी/साथ रहने वाले (वाली) का शारीरिक उत्पीडन बन्द करें
शारीरिक उत्पीडन के शिकार पुरूषों के लिए सेवाएँ
Seek Early Assistance Stop Spouse/Cohabitant Battering
Services for Battered Men

Hindi
October 2013

社會福利署
Social Welfare Department